झारखंड जनाधिकार महासभा

सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन संगठनों का सामूहिक मंच

16 जनवरी 2023

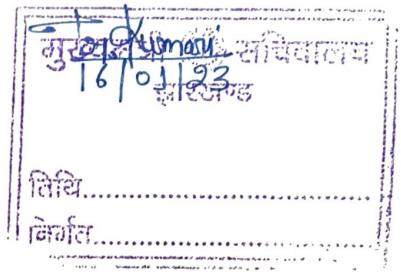

प्रेषित
श्री राजीव अरुण एक्का
गृह सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
झारखंड

महाशय

राज्य के आदिवासी- वंचितों के मानवाधिकार के लगातार हनन के विरुद्ध कार्यवाई की मांग

हम आपका ध्यान वर्तमान में आदिवासी-मूलवासियों-वंचितों के विरुद्ध विभिन्न तरीकों से पुलिसिया व सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे दमन पर केन्द्रित करना चाहेंगे. पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार समेत अन्य कई ज़िलों में नक्सल अभियान की आड़ में सुरक्षा बल द्वारा आदिवासियों पर व्यापक हिंसा हो रही है. हिरासत में हिंसा व मौत के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. हिंसा के विरुद्ध प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की जाती. अधिकांश मामलों में न तो पीड़ितों को मुआवज़ा मिला है और न ही दोषियों पर कार्यवाई हुई है. केवल संदेह के आधार पर या केवल माओवादियों को महज़ खाना खिलाने के लिए निर्दोष आदिवासी-वंचितों को माओवादी घटनाओं के मामलों में फ़र्ज़ी रूप से आरोपित किया जा रहा है. बिना ग्राम सभा की सहमती व लोगों से चर्चा किए ही गावों में सुरक्षा बलों के कैंप को जबरन स्थापित किया जा रहा है. इससे गावों में और खास कर ग्रामीण आदिवासियों में डर और दमन का माहौल बना हुआ है एवं गाँव-समाज में विभाजन भी हो रहा है.

हाल में लातेहार में टाना भगतों पर व्यापक पुलिसिया दमन किया गया है और फ़र्ज़ी मामले दर्ज किए गए हैं. पांचवी अनुसूची लागू करने एवं कोयला खनन के विरुद्ध चल रहे आदिवासियों के शांतिपूर्ण आन्दोलन पर पुलिस द्वारा हिंसा की गई.

साथ ही, हाल की अधिकांश सांप्रदायिक घटनाओं और आदिवासियों, दलितों व धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भीड़ द्वारा हिंसा के मामलों में दोषियों को रोकने व उनपर कार्यवाई करने में स्थानीय पुलिस असक्षम रही है. ऐसे मामलों में सरकारी वकील द्वारा अभी भी संवैधानिक न्याय के विपरीत कार्यवाई की जा रही है.

हाल के ऐसे मानवाधिकार उल्लंघन के कुछ प्रमुख मामले अनुलग्नक 1 में संलग्न है. महासभा द्वारा इन मामलों का विस्तृत तथ्यान्वेषण किया गया. यह चंद उदहारण राज्य की स्थिति को बयान करते हैं. पुलिस महानिदेशक व सम्बंधित ज़िलों के अधीक्षक से कई बार मिलने के बावज़ूद लोगों पर हिंसा जारी है एवं पुलिस व सुरक्षा बलों के रवैया में कोई सुधार नहीं है. हम मांग करते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा इन मुद्दों व निम्न मांगों पर कार्यवाई की जाए:

- संलग्न सूचि के सभी मामलों में उचित कार्यवाई कर पीड़ितों को न्याय और मुआवज़ा व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई सुनिश्चित की जाए. सरकार सुनिश्चित करे कि पुलिस व सुरक्षा बलों की हिंसा के पीड़ितों द्वारा दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

झारखंड जनाधिकार महासभा

सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन संगठनों का सामूहिक मंच

- नक्सल विरोधी अभियानों की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को परेशान न किया जाए. केवल संदेह के आधार पर या केवल माओवादियों को महज़ खाना खिलाने के लिए निर्दोष आदिवासी-वंचितों को माओवादी घटनाओं के मामलों में न जोड़ा जाए. लोगों पर फ़र्ज़ी आरोपों पर मामला दर्ज करना पूरी तरह से बंद हो.
- पांचवी अनुसूची क्षेत्र में किसी भी गाँव के सीमाना में सर्च अभियान चलाने से पहले एवं कैंप स्थापित करने से पहले ग्राम सभा व पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सहमति ली जाए. बिना ग्राम सभा की सहमति के लगाए गए सुरक्षा बलों के कैंप को हटाया जाए. स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को आदिवासी भाषा, रीति-रिवाज, संस्कृति और उनके जीवन-मूल्यों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए और संवेदनशील बनाया जाए.
- राज्य में UAPA व राजद्रोह धारा के इस्तेमाल पर पूर्ण रोक लगे.
- सभी पत्थलगड़ी प्राथमिकियों में closure रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें बंद किया जाए. टाना भगत के विरुद्ध मामलों को वापिस लिया जाए.
- हिरासत में मौत के मामलों में दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर न्यायसंगत करवाई की जाए, लंबित मामलों में चार्जशीट दाखिल कर जांच पूरी की जाए एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुरूप प्रत्येक थाने में cctv कैमरा लगाया जाए.
- अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हाल के धार्मिक उन्माद व हिंसा के लिए ज़िम्मेवार दोषियों पर कार्यवाई हो, इन्हें न रोकने के लिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाई हो एवं हिंसा में मारे गए मृतक के परिवार को मुआवज़ा मिले. साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय पुलिस संवैधानिक मूल्यों व कानून का पूर्ण पालन करते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद और हिंसा के विरुद्ध सख्त कार्यवाई की जाए एवं सरकारी वकील द्वारा पीड़ितों के न्याय के लिए निष्पक्ष रूप से कार्य किया जाए.
- निर्जीव पड़े हुए राज्य मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को पुनर्जीवित किया जाए और इस आयोग की कार्यप्रणाली जनता के लिए सुलभ हो. महिलाओं के लिए एक सिंगल विन्डो शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जाए जिससे महिलाएँ किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में न्यूनतम दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कर सकें.

धन्यवाद

सिराज दत्ता

लाल मोहन सिंह खरवार

अनिल कुमार सिंह खरवार

झारखंड जनाधिकार महासभा

सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन संगठनों का सामूहिक मंच

अनुलग्नक 1 – मानवाधिकार उल्लंघनों की सूचि

पश्चिमी सिंहभूम के आदिवासियों की CRPF द्वारा पिटाई व महिला के साथ छेड़खानी: 11 नवम्बर 2022 को पश्चिमी सिंहभूम के चिरियाबेड़ा में सुरक्षा बलों द्वारा अभियान के दौरान गाँव की कई महिलाओं समेत निर्दोष आदिवासियों की पिटाई की गयी, एक नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार के उद्देश्य से छेड़खानी की गयी और घरों में रखे समान व खलियान में रखे धान को तहस-नहस किया गया. जून 2020 में भी सुरक्षा बल जवानों ने सर्च अभियान के दौरान इसी गाँव के आदिवासियों को डंडों, बैटन, राइफल के बट और बूटों से बेरहमी से पीटा था. लेकिन आज तक, न दोषी सुरक्षा बलों के विरुद्ध कार्यवाई हुई और न पीड़ितों को मुआवज़ा मिला. न्यायालय में भी पीड़ितों का बयान दर्ज करवाने में जांच पदाधिकारी का रवैया नकारात्मक और उदासीन है.

लातेहार में टाना भगतों व अन्य आदिवासियों के विरुद्ध पुलिसिया दमन: 2022 में लातेहार में टाना भगत आदिवासियों द्वारा पांचवी अनुसूचि प्रावधानों को सही रूप से लागू करने के लिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन किया जा रहा था. इसी क्रम में वे 10 अक्टूबर 2022 को स्थानीय न्यायालय के न्यायाधीश से मिलने के लिए शांतिपूर्ण रूप से मांग कर रहे थे जब उनपर पुलिस द्वारा व्यापक हिंसा की गयी. इसके बाद अनेक टाना भगतों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए एवं अनेकों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही, कई महीनों से ज़िला के तुबेद समेत अन्य गावों में डीवीसी द्वारा प्रस्तावित कोयला खनन के विरुद्ध चल रहे आन्दोलन से जुड़े कई आदिवासियों को भी इन मामलों में जोड़ा गया जबकि वे 10 अक्टूबर को घटना स्थल पर थे भी नहीं. इससे स्पष्ट है कि टाना भगतों के विरुद्ध कथित हिंसा के आरोप लगाकर एवं उनपर फ़र्ज़ी मामले दर्ज कर आदिवासियों की ज़मीन का जबरन अधिग्रहण का मकसद है.

अनिल सिंह की थाना प्रभारी द्वारा पिटाई: 23 फ़रवरी 2022 के रात करीब एक बजे गारू थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव पुलिस बल के साथ कुकू गाँव (बरवाडीह प्रखंड, लातेहार) से अनिल कुमार सिंह, पिता - स्व चमन सिंह और उनके दो मेहमानों - अजय भगत व राम किशुन भगत – को गारू थाना ले गए. गारू थाना में अनिल सिंह को नक्सलियों को मदद करने के आरोप पर थाना प्रभारी ने अपने कक्ष में दो अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर लाठियों से बुरी तरह पीटे. उनके शारीर के पिछले भाग, सीना और पैर में सैंकड़ों बार लाठी से मारा गया. मार खाते-खाते उनके शारीर के कई भाग से चमड़ी निकल गयी. पिटाई के बाद प्रभारी ने उनके पीछे से कपड़े के ऊपर से उनके पैखाने के रास्ते पेट्रोल डाल दिया. उन्हें 25 फ़रवरी तक गैर-क़ानूनी रूप से थाना में रखा गया. इस दौरान दबाव देकर अनिल का खून से लथपथ अंडरवियर और पैंट खुलवा के रख लिया गया. ऐसी दर्दनाक घटना के बावज़ूद भी अभी तक दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध न उचित कार्यवाई हुई है और न पीड़ित को मुआवज़ा मिला है.

गोमिया (बोकारो) में माओवाद के फ़र्ज़ी आरोपों में फंसाना: 50 वर्षीय आदिवासी संजय माझी (पिता – स्व. बबुआ माझी, लालगढ़ गाँव, गोमिया प्रखंड, बोकारो ज़िला), जो अशिक्षित हैं एवं पेशे से राज मिस्त्री हैं, को 27 दिसम्बर 2021 को जोगेश्वर विहार थाना प्रभारी द्वारा थाना बुलाकर कहा गया कि उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती का नोटिस निर्गत हुआ है. उन्हें कहा गया कि 2014 के एक माओवादी घटना (रेल पटरी उड़ाना में) में वे आरोपित हैं और फ़रार रहने के कारण कुर्की जब्ती की कार्यवाई की जाएगी. न वे फ़रार थे और न ही उनका माओवादी पार्टी या 2014 के घटना से कोई सम्बन्ध है. चोरपनिया गाँव के अत्यंत गरीब बिरसा माझी, पिता रामेश्वर माझी को भी 2022 में स्थानीय थाना में बुलाकर कहा गया कि वे एक एक-लाख रु इनामी नक्सल हैं एवं उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया. लेकिन न बिरसा माझी का माओवादी पार्टी से जुड़ाव है और न ही उनके किसी घटना से. वे गाँव के एक गरीब मज़दूर हैं जो रोज़गार के लिए अक्सर अपने बेटे के साथ इंटा-भट्टा में पलायन करते हैं. गोमिया में ऐसी परिस्थिति अनेक निर्दोष आदिवासी-मूलवासियों की हैं. गोमिया व नवाडीह प्रखंडों के कई निर्दोष आदिवासी-मूलवासी-वंचितों पर माओवाद के फ़र्ज़ी आरोप व UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है. वे पिछले कई सालों से बेल के लिए एवं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे 30 मामलों का विस्तृत सर्वेक्षण हुआ है.

पिरी, लातेहार में सुरक्षा बल द्वारा आदिवासियों पर फायरिंग और ब्रम्हदेव सिंह की हत्या: 12 जून 2021 को सरहुल पर्व के पहले जंगल में पारंपरिक शिकार करने निकले पिरी गाँव (गारू) के आदिवासी युवकों पर नक्सल अभियान पर निकले सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग हुई जिसमें 24 वर्षीय ब्रम्हदेव सिंह की गोली लगने से मृत्यु हो गयी. ग्रामीणों ने पुलिस को देखते ही हाथ उठा दिए और चिल्लाए कि वे आम जनता हैं और गोली न चलाने का अनुरोध किया. पीड़ितों द्वारा उनके भरटुआ बंदूक (जो छोटे जानवरों के पारंपरिक शिकार व फसल को जानवरों से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है) से फायरिंग नहीं की गयी थी. सुरक्षा बल व पुलिस द्वारा इस मामले को एक मुठभेड़ का जामा पहनाने की कोशिश की गयी. पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी

में भी तथ्यों से विपरीत बाते दर्ज है. साथ ही, मृत ब्रम्हदेव समेत छः पीड़ित आदिवासियों पर आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी है. मृत ब्रम्हदेव सिंह की पत्नी द्वारा 29 जून 2021 को पति के हत्या के लिए दोषी सुरक्षा बलों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की माग की गई थी लेकिन स्थानीय कोर्ट के आदेश के बाद ही एक साल बाद मामला दर्ज हुआ. लेकिन आज तक न जीरामनी की गवाही दर्ज हुई, न पीड़ितों को मुआवज़ा मिला और न दोषियों पर कार्यवाई हुई.

चौपारण, हजारीबाग में छक्कन भुइयां की पुलिस पिटाई से मौत: 29 अप्रैल 2021 को चौपारण में छक्कन भुइयां को, जो बाईक से रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे, पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के नाम पर पीटा जिससे उनकी मृत्यु हो गयी. छक्कन एक अत्यंत गरीब दलित परिवार के सदस्य थे. आज तक परिवार को न मुआवज़ा मिला और न ही हिंसा के लिए दोषी पुलिस पर कार्यवाई हुई है.

विद्यालयों व गावों में पुलिस कैंप की जबरन स्थापना: पिछले कई वर्षों में राज्य के अनेक ज़िलों में सरकारी विद्यालयों में सुरक्षा बलों / पुलिस कैंप की स्थापना की गयी है. इसके कारण अनेक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है. कई विद्यालयों में तो कैंप के साए में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. साथ ही, कई गावों में कैंप की स्थापना के लिए न तो ग्राम सभा की सहमती ली गयी और न लोगों से चर्चा की गई. कैम्पों में आए गैर-आदिवासी सुरक्षा बलों का रवैया स्पष्ट रूप से आदिवासी विरोधी होता है. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में पुरे राज्य में 44 कैम्पों की स्थापना की गयी जिसमें 22 तो 2022 में किए गए. पांचवी अनुसूची क्षेत्र जैसे चाईबासा में स्थापित किए गए कैंप की स्थापना सम्बंधित दस्तावेजों जैसे ग्राम सभा सहमति पत्र, वन विभाग NOC आदि को सरकार सार्वजानिक करे.

UAPA कानून व राजद्रोह धारा का अंधाधुन इस्तेमाल – पिछली सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर राज्य में आदिवासियों, गरीबों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध फ़र्ज़ी आरोपों पर UAPA कानून व राजद्रोह धारा का इस्तेमाल किया गया था. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2015-19 के बीच UAPA मामलों में 138% की वृद्धि हुई, जबकि वास्तविक आंकड़े और अधिक होंगे. दुःख की बात है कि 2020 व 2021 में भी राज्य में UAPA के 80 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. अभी भी निर्दोष ग्रामीण ऐसे मामलों से जूझ रहे हैं.

राज्य में हाल में हुए अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा: पिछले साल में राज्य के कई ज़िलों (लोहरदगा, कोडरमा आदि) में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा और धार्मिक उन्माद की घटनाएं हुई थी. अल्पसंख्यक इलाकों में भड़काऊ गाने बजाए गयें और बयानबाजी की गयी जिससे कई जगहों पर हिंसा भड़की और अल्पसंख्यक के दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गयी. दुकाने जलाई गयी. इस दौरान लोहरदगा में अमन अंसारी की भीड़ द्वारा हत्या हुई. अधिकांश घटना स्थलों पर पुलिस इस बहुसंख्यक हिंसा के विरुद्ध मूकदर्शक बनी रही और न्याय व कानून के पालन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं दिखी. साथ ही, भीड़ द्वारा किए गए हिंसा के मामलों में सरकारी वकील पीड़ित के पक्ष में अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं. उदहारण के लिए, गुमला के आदिवासी प्रकाश लकड़ा के लिंचिंग मामले (डुमरी थाना कांड संख्या 09/ 2019) में APP सही से केस को conduct नहीं कर रहें है. पीड़ित पक्ष के गवाहों का कहना है के APP ने गवाहों को कहा कि वे गावही में कोर्ट में कह दें कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानते. इस केस में ही जब अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में बेल फाइल किया गया, जिसमे हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया, मगर सरकारी वकील ने नहीं फाइल किया जिस कारण अभियुक्तों को बेल मिल गया.